देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/kdgl/10 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 12 अप्रैल 2022

आखिर कोटा मे किसकी अनुमति से बन रहा है, भारत विकास आयुर्विज्ञान संस्थान एवं केन्सर हॉस्पिटल?

भाग-1

वर्ष 2018 मे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे ने किया था इस 400 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास!!!

बिना यूआईटी/राज्य सरकार से नक्शे स्वीकृत करवाए,बिना पर्यावरण स्वीकृति के निर्माण कार्य चालू, मौके पर पत्थर तोड़ने और नींव खोदने के लिए हो रही अवैध ब्लास्टिंग और जेसीबी से खुदाई!!!

जिम्मेदार खामोश!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भारत विकास परिषद ने वर्ष 2018 मे कोटा मे कैंसर हॉस्पिटल बनाने का किया था ऐलान|

वर्ष 2018 मे भारत विकास परिषद द्वारा कोटा के पटवार हल्का धर्मपुरा ग्राम आनंदपुरा उर्फ फूटा तालाब के खाता संख्या 16 के खसरा नंबर 3 (पार्ट),15(पार्ट) और 126 पर करीब 700000 वर्ग फुट क्षेत्र मे 400 करोड़ की लागत से कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था|संस्थान द्वारा इस प्रयोजनार्थ सरकार से रियायती दर पर जमीन भी आवंटित करवा ली गयी थी|उस समय इस परियोजना का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमति वसुंधरा राजे द्वारा किया गया था|

बिना यूआईटी/सरकार से नक्शे स्वीकृत करवाए मौके पर निर्माण कार्य चालू,मौके पर पत्थर तोड़ने और नींव खोदने के लिए हो रही अवैध ब्लास्टिंग और जेसीबी से खुदाई!!!

शिलान्यास के चार साल बाद अब यह परियोजना विवादो मे आ गयी है|स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के लिए संस्थान द्वारा ना तो यूआईटी कोटा से और नाही राज्य सरकार से नक्शे पास करवाए गए है|इसके बावजूद मौके पर रात के समय अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है और दिनदहाड़े जेसीबी चलाकर खुदाई की जा रही है जो कि गैर-कानूनी है|स्थानीय निवासियों का आरोप है कि संस्थान द्वारा अपने रसूखातों के चलते बिना अनुमति यह अवैध निर्माण कार्य करवा रही है|

4/12/22, 11:07 AM

भारत विकास परिषद का कोटा में बनेगा कैंसर हॉस्पिटल

By Lenden News - April 23, 2018

कोटा। शहर में 400 करोड़ रुपए की लागत से भारत विकास परिषद आयुर्विज्ञान व कैंसर चिकित्सालय का निर्माण कराएगा, जो तीन चरणों में प्रस्तावित है। जिसमें 140 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण लगाए जाएंगे। इस संस्थान का निर्माण सात लाख वर्ग फुट क्षेत्र में होगा।

यह जानकारी सोमवार को पत्रकार वार्ता में भारत विकास आयुर्विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष श्याम शर्मा व सचिव गोविन्द माहेश्वरी ने दी। उन्होंने बताया कि हाड़ौती एवं प्रदेश के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद सेवा संस्थान की ओर से कोटा में भारत विकास आयुर्विज्ञान संस्थान एवं कैंसर चिकित्सालय का भूमिपूजन समारोह 27 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे होगा।

उन्होंने बताया कि कोटा यूनिवर्सिटी के पीछे बारां-चित्तौड़ फोरलेन के नजदीक स्थित भूमि पर संस्थान का निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। समारोह में झालरिया पीठ डीडवाना के पीठाधीश्वर स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज का सान्निध्य प्राप्त होगा। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश (भैया) जोशी होंगे। अध्यक्षता प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी।

उन्होंने बताया कि गरीब तबके के मरीज निजी चिकित्सालयों का भारी खर्च वहन नहीं कर पाते। इसे ध्यान में रखते हुए इस संस्थान की स्थापना की जा रही है ताकि मरीजों को रियायती दरों पर उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जा सके। कैंसर एक जानलेवा रोग है और राजस्थान व मध्यप्रदेश के लगभग नौ जिलों में एक लाख से ज्यादा कैंसर रोगी हैं।

उन्होंने बताया कि करीब 20 हजार से अधिक गंभीर स्टेज पर हैं। इनमें से केवल 150-200 लोग महानगरों में बड़े चिकित्सालयों में उपचार करवाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे रोगियों को कोटा में ही इलाज सुलभ हो सके। मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों व हाड़ौती के आस-पास के जिलों से 4-5 हजार रोगी कैंसर के इलाज के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिलने की स्थिति में उन्हें या तो बहुत महंगा इलाज करवाने के लिए बड़े शहर जाना पड़ता है या फिर मौत को गले लगाना पड़ता है।

तीन चरणों में पूरा होगा 400 करोड़ का प्रोजेक्ट

संस्था के सचिव गोविन्द माहेश्वरी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत 500 बैड के मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालय का निर्माण भी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में निर्माण कार्य होगा। इसकी निर्माण की लागत 40 करोड़ आएगी, इसमें 40 करोड़ के उपकरण लगाए जाएंगे तथा अन्य कार्यों पर करीब 20 करोड़ खर्च होंगे। इस चरण की कुल लागत 100 करोड़ होगी।

वहीं द्वितीय चरण में 3 लाख वर्ग फीट क्षेत्र पर निर्माण कार्य होगा। इसमें 150 करोड़ की कुल लागत आएगी। इसकी समयावधि 3 से 6 वर्ष की होगी। इस चरण में निर्माण कार्य पर 60 करोड़ तथा उपकरणों पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तृतीय चरण में 150 करोड़ के कार्य होंगे। इसमें 2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र पर निर्माण होगा, निर्माण की लागत 75 करोड़ आएगी तथा 40 करोड़ के उपकरण लगाए जाएंगे। अन्य कार्यों पर 30 करोड़ खर्च होंगे।

कैंसर चिकित्सालय बनेगा वरदान

हाड़ौती व आसपास के अन्य जिलों में कैंसर जैसे गंभीर रोग के उपचार की कोई कारगर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। कैंसर के रोगियों की संख्या साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में काफी समय से आवश्यक्ता महसूस की जा रही थी कि इस क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त कैंसर चिकित्सालय होना चाहिए।

फेक्ट

3 चरणों में बनेगा भारत विकास आयुर्विज्ञान व कैंसर चिकित्सालय
400 करोड़ रुपए की लागत आएगी
140 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण लगाए जाएंगे।
7 लाख वर्ग फ ीट क्षेत्र में होगा होगा निर्माण
500 बैड के मल्टी स्पेशियलिटी चिकित्सालय का निर्माण भी प्रस्तावित

2 लाख वर्ग फ ीट क्षेत्र में प्रथम चरण का निर्माण कार्य होगा।
40 करोड़ में होगा प्रथम चरण का निर्माण
20 करोड़ अन्यों पर होंगे
40 करोड़ के उपकरण प्रथम चरण के निर्माण में लगाए जाएंगे

100 करोड़ होगी होगी प्रथम चरण की कुल लागत
3 लाख वर्ग फ ीट क्षेत्र में बनेगा पहला चरण
3 से 6 वर्ष में पूरा होगा निर्माण

मौके पाए चल रहा निर्माण कार्य|

इतने बड़े निर्माण कार्य के लिए लेनी होगी पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति

पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 मे जारी नयी नीति के अनुसार 150000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण पर पर्यावरण स्वीकृति लेना आवश्यक है|चूंकि इस प्रोजेक्ट मे तीन चरणों मे कुल 700000 वर्ग फीट का निर्माण होना है अतः इस प्रोजेक्ट के लिए भी पर्यावरण स्वीकृति लेना अति-आवश्यक है|

स्थानीय निवासियों के दावो के अनुसार जिस प्रोजेक्ट के नक्शे तक स्थानीय निकाय से पास नहीं करवाए गए है उसके लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी होना बेमानी सा लगता है|ऐसे मे इस प्रोजेक्ट पर पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का कभी भी डंडा चल सकता है|

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या संस्थान द्वारा इस परियोजना का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
2. क्या संस्थान द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडो,पार्किंग नियमों का पालन किया जा रहा है?
3. क्या संस्थान द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
4. क्या संस्थान द्वारा भूखंड का यूडी टेक्स जमा करवा दिया गया है?
5. क्या संस्थान द्वारा पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति जारी करवा ली गयी है?
6. आखिर संस्थान को क्या जरूरत पड़ गयी कि उसे नियम विरुद्ध निर्माण करवाने को मजबूर होना पड़ रहा है?क्या इतनी बड़ी संस्थान को कानून का भी डर नहीं है?
7. सस्थान द्वारा किसकी अनुमति से मौके पर अवैध ब्लास्टिंग करवायी जा रही है?क्या बिना अनुमति ब्लास्टिंग करना गैरकानूनी नहीं है?ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक कहाँ से और कौन ला रहा है?
8. आखिर स्थानीय प्रशासन लाख शिकायतों के बावजूद मौके पर काम बंद क्यूँ नहीं करवा रहा है?
9. आखिर संस्थान जनता के पैसो का गलत इस्तेमाल क्यूँ कर रही है?क्या यह दान दाताओ के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
10. इस अवैध निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है?